

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जालोर

क्रमांक/विधि/2020/ 12493

दिनांक: 29.07.2020

आदेश

जालोर जिले के ग्राम पावटी, तहसील जसवंतपुरा मे नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से सक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने एवं COVID-19 से उत्पन्न महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने तथा संक्रमण की वर्तमान स्थिति को मध्यनजर रखते हुये अविलम्ब ग्राम पावटी, तहसील जसवंतपुरा क्षेत्र को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव/नियंत्रण एवं मानवीय जीवन की रक्षा/सुरक्षा के मध्यनजर रखते हुए इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2020/11788 दिनांक 13.07.2020 से ग्राम पावटी, तहसील जसवंतपुरा की राजस्व ग्राम सीमा क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा (कर्पयू) जारी की गई।

चूंकि ग्राम पावटी, तहसील जसवंतपुरा मे कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित व्यक्ति के डिस्चार्ज होने के बाद 28 दिन पूर्ण हो जाने से एवं अन्य कोई व्यक्ति कोरोना वायरस (COVID-19) से सक्रमित नही पाये जाने से इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2020/11788 दिनांक 13.07.2020 को तुरंत प्रभाव से प्रत्याहरित (विद्दो) किया जाता है। उक्त आदेश आज दिनांक 29.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया।

*(Handwritten signature)*

(हिमांशु गुप्ता)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
जालोर

दिनांक: 29.07.2020



क्रमांक/विधि/2020/ 12494-12586  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त जोधपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज जोधपुर।
4. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.....।
5. जिला पुलिस अधीक्षक जालोर।
6. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जालोर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् जालोर।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर।
9. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जालोर।
10. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जालोर/सांचोर।
11. उपखण्ड मजिस्ट्रेट/तहसीलदार,, समस्त।
12. विकास अधिकारी, समस्त।
13. आयुक्त नगर परिषद्, जालोर।
14. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका भीनमाल/सांचौर।
15. उप पुलिस अधीक्षक जालोर/भीनमाल/सांचोर/रानीवाडा।
16. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी जालोर को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
17. ACP (उपनिदेशक) DOIT, जालोर को जिला वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु।
18. थाना अधिकारी, पुलिस थाना.....।
19. अतिरिक्त निजी सचिव जिला कलक्टर, जालोर।
20. आदेश पत्रावली

*(Handwritten signature)*

अति. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जालोर